पंजीकृत डाक द्वारा

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, अवध विहार योजना

आफिस काम्प्लेक्स,प्रथम तल, सेक्टर–9,
वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड़, लखनऊ–226025

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्र सं0– /स0प्र0/अवध विहार योजना/ मॉग पत्र/ दिनांक–

सेवा में,

GENERAL /-

SRI/SMT/KM :
S/O/D/O/W/O :
ADDRESS :
DISTT :
PIN CODE :

मांग–पत्र

विषयः–परिषद की अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड), शहीदपथ, लखनऊ के सेक्टर–8 में अफोंडेबुल हाउसिंग पालिसी 2015 के अधीन गोमती एन्क्लेव में 2बी0एच0के0 टाईप–ए प्रकार के फ्लैट हेतु पात्रता चयन के संबन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपको हर्ष के साथ सूचित करना है कि परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित बहुमंजिली आवासीय परियोजना के सेक्टर–8 में अफोंडेबुल हाउसिंग पालिसी–2015 के अधीन गोमती एन्क्लेव में 2बी0एच0के0 टाईप–ए प्रकार के फ्लैटों हेतु दिनांक ..... को सम्पन्न पात्रता चयन लाटरी ड्रा में आपके पंजीकरण/फार्म संख्या ---------- के विरूद्व फ्लैट हेतु चयनित हुये है।

आपको पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित अनुमानित विकय मूल्य का भुगतान निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना है :–

(1) फ्लैट का अनुमानित विकय मूल्य रू0 -------- लाख

(2) फ्लैट का सुपर एरिया 77.09 वर्ग मी0
निर्मित क्षेत्रफल 59.11 वर्ग मी0

(3) जमा पंजीकरण धनराशि रू0 ----------.00

(4) चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि। रू0 ----------.00

(5) प्रथम मासिक किस्त की धनराशि जो दिनांक ..... से 36 मासिक किश्तो में भुगतान किया जाना है। रू0 ----------.00

(6) फ्लैट के प्रदेशन पत्र जारी करने/भौतिक कब्जा के समय देय धनराशि (15 प्रतिशत) रू0. ------- लाख

(7) 36 मासिक किस्तो के उपरान्त अवशेष धनराशि पर सब्याज 84 मासिक किस्तों की धनराशि का भुगतान जो दिनांक ..... से देय होगी। रू0 00

नोटः– अन्तिम मूल्यांकन प्राप्त होने के उपरान्त अंतिम प्रदेशन–पत्र निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

उप आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

P.T.O.

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक माह वर्ष. की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और **पुत्र** **निवासी–** जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:–

चूकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में **अवध विहार योजना** नामक मुहल्ले के सेक्टर–..... में निर्मित एस.एफ.एस. 2013 बहुमंजिलीय योजना के..... का **फ्लैट संख्या–**.....का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रू0 .....(रू0 .....) **जिसका आधा रू0** ..... (रू0 ....) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (संख्या–) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव **(रू0** .....**मात्र)** की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात फ्लैट सख्या–

क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:–